22/05/25

अधिवक्ता गण उप० | प्रार्थना पत्र 0-1-R-10(2) CPC पर बहस प्रस्तुत की गयी। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यानुसार अप्रार्थी सं. 02 एवं 05 ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा का बेचान प्रति सं. 8, 9, 10 को कर दिया है। अतः ग० पत्र प्रस्तुत कर प्रति. सं. 02 व 05 का नाम डिलीट करने का निवेदन किया। जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के प्रस्तुत बैयनामा की प्रतियों से स्पष्ट है कि प्रति. सं. 02 व 05 ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा का बेचान कर दिया है। अतः प्रति. सं. 02 व 05 आवश्यक पक्षकार नहीं रहे हैं इस लिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 0-1-R-10(2) CPC स्वीकार किया जाता है। प्रति. सं. 02 व 05 के नाम के आगे लाल स्याही से डिलीट अंकित किया जाता है। प्रति. सं. 01 व 03 को जारी पंजीकृत समन की रसीदों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रति. सं. 01 व 03 की तलाश जनक तलाश हो चुकी है। प्रति. सं. 01 व 03 उप० नहीं निर्धारित समयावधि व्यतित हो चुकी है। न्यायालय के समक्ष प्रति. सं. 01 व 03 को बार-बार एक-एक कर आवाजें लगाये जाने पर भी उप० नहीं आये अतः प्रति. सं. 01 व 03 के विरुद्ध एकपक्षिक कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते वकालत नामा प्रति. [illegible] हेतु दिनांक [illegible]/25 को पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:21:01 IST
Reason: SelfAttested